24/5/25 वकील वादी उप0। वादी द्वारा प्रतिवादीगण की तलबी का प्रयास नहीं किया गया है। बावजूद अवसर दिये जाने के पश्चात भी वाद दर्ज होने के बाद एक बार भी प्रतिवादीगण को रजि. सम्मन तामील करवाने का प्रयास नहीं किया गया है अतः तलबी के अभाव में वाद वादी खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Rajendra